



कार्यालय सचिवालय

अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद

International Council of Religions

वेबसाइट: www.icr-int.org

Ref No.: - ICR/2025/68272

Dated: - 12/08/2025

अधिसूचना

विषय: वैश्विक प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय त्रासदियों एवं संकटग्रस्त क्षेत्रों में त्वरित सहायता हेतु 'अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म आपातकालीन राहत कोष' (International Interfaith Emergency Relief Fund - IIERF) की विधिक स्थापना, कॉर्पस फंड, संचालन नियमावली तथा आपातकालीन राहत ट्रस्टी बोर्ड के गठन संबंधी अधिसूचना।

अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद के संविधान के अनुच्छेद 24 (मानवीय सहायता, संकट प्रबंधन एवं जनकल्याणकारी कोष) के अंतर्गत प्रदत्त विधिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा शासी निकाय (Governing Council) द्वारा सर्वसम्मति से पारित विशेष संकल्प संख्या GC-25/2025 के अनुसरण में, वैश्विक स्तर पर आपदा पीड़ितों एवं युद्ध/संकटग्रस्त क्षेत्रों के विस्थापितों को बिना किसी धार्मिक, जातीय या क्षेत्रीय भेदभाव के तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने हेतु 'अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म आपातकालीन राहत कोष' (IIERF) की स्थापना, इसका विधिक ढांचा तथा राहत प्रबंधन बोर्ड एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं उद्देश्य

1.1 यह अधिसूचना 'अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म आपातकालीन राहत कोष (स्थापना एवं प्रबंधन) अधिसूचना, 2025' कही जाएगी।

1.2 यह कोष वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र (UN OCHA) द्वारा मान्यता प्राप्त आपदा-प्रभावित अथवा मानवीय संकट वाले किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में सक्रिय होगा।

1.3 कोष का मुख्य उद्देश्य 'गोल्डन ऑवर' (आपदा के 24 से 72 घंटे के भीतर) में त्वरित जीवन-रक्षक खाद्यान्न, चिकित्सा किट, अस्थायी आश्रय, स्वच्छ पेयजल एवं मनोवैज्ञानिक संबल प्रदान करना है।

2. कॉर्पस फंड, पूंजी संरचना एवं वित्तपोषण स्रोत

शासी निकाय द्वारा कोष की स्थायी एवं स्वतंत्र वित्तीय तरलता सुनिश्चित करने हेतु \$2,000,000 USD (समकक्ष ₹16.50 करोड़) का प्रारंभिक कॉर्पस (Seed Corpus) अनुमोदित किया गया है। कोष के नियमित वित्तपोषण के स्रोत निम्न प्रकार निर्धारित किए जाते हैं:

क्र.	वित्तपोषण स्रोत (Funding Channel)	योगदान प्रतिशत / स्वरूप	विधिक एवं वित्तीय अनुपालन
1	वार्षिक बजट 2025-26 से केंद्रीय आवंटन	20% (मद सं. 2 से अंतरित)	केंद्रीय वित्त समिति द्वारा प्रत्यक्ष संवितरण
2	वैश्विक सदस्यता अभियान से प्राप्त अंशदान	15% (स्थायी लेवी)	प्रत्येक सदस्यता शुल्क से स्वचालित अंतरण

3	अंतरराष्ट्रीय धार्मिक ट्रस्टों व संस्थाओं से दान	स्वैच्छिक अनुदान / CSR	FCRA व FATF अंतरराष्ट्रीय मानकों के अधीन
4	वैश्विक शांति सम्मेलनों से विशेष आपदा अपील	सार्वजनिक क्राउडफंडिंग	डिजिटल पारदर्शी एस्करो (Escrow) गेटवे
5	आपातकालीन रिजर्व एवं निवेश प्रतिफल	सुरक्षित बैंक ब्याज / डिविडेड	शून्य-जोखिम सावधि जमा (Term Deposits)

3. आपातकालीन राहत प्रबंधन एवं ट्रस्टी बोर्ड का गठन

राहत कोष के पारदर्शी संचालन, आपातकालीन निर्णय लेने एवं फील्ड तैनाती हेतु निम्नलिखित उच्चस्तरीय 'राहत प्रबंधन बोर्ड' का विधिक गठन किया जाता है:

क्र.	बोर्ड में पदनाम	नामित पदाधिकारी / विशेषज्ञ	संस्थागत दायित्व / प्रभाग
1	अध्यक्ष	स्वामी विवेकानंद भारती	अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष, सर्वधर्म परिषद
2	उपाध्यक्ष एवं फील्ड निदेशक	डॉ. आर्थर विलियम्स	महासचिव, सर्वधर्म परिषद
3	मुख्य राहत आयुक्त	डॉ. के. एस. राघवन (IAS सेवा.)	पूर्व आपदा प्रबंधन सचिव व विशेषज्ञ
4	निदेशक - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संभाग	डॉ. फातिमा अल-ज़हरा (MD)	प्रमुख, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रकोष्ठ
5	निदेशक - लॉजिस्टिक्स एवं त्वरित आपूर्ति	श्री माइकल ओ'कॉनर	विशेषज्ञ, वैश्विक संकट आपूर्ति श्रृंखला
6	कोषाध्यक्ष एवं वित्तीय नियंत्रक	श्री राजेश सिंघानिया (CA)	मुख्य वित्त नियंत्रक, केंद्रीय सचिवालय
7	कानूनी व मानवाधिकार अनुपालन अधिकारी	न्यायमूर्ति (सेवा.) एस. के. बनर्जी	अध्यक्ष, विधिक संवीक्षा प्रकोष्ठ

4. राहत वितरण की श्रेणियां एवं आपातकालीन प्रक्रिया

राहत सहायता को संकट की गंभीरता के आधार पर तीन स्तरों (Levels) में वर्गीकृत किया गया है:

संकट का स्तर	संकट की प्रकृति व गंभीरता	अधिकतम त्वरित सवितरण सीमा	अनुमोदन प्राधिकारी
स्तर-1	स्थानीय बाढ़, आगजनी अथवा दंगा पीड़ित क्षेत्र	\$25,000 USD (₹20 लाख)	मुख्य राहत आयुक्त व क्षेत्रीय समन्वयक
स्तर-2	राज्य/राष्ट्रीय स्तर का भूकंप, चक्रवात, सूखा	\$100,000 USD (₹80 लाख)	राहत आयुक्त एवं महासचिव की संयुक्त स्वीकृति
स्तर-3	अंतरराष्ट्रीय युद्ध क्षेत्र, महाविनाशकारी भूकंप	\$500,000 USD (₹4.0 करोड़)	आपातकालीन राहत ट्रस्टी बोर्ड (24 घंटे में)

5. मानवीय सिद्धांत, निष्पक्षता एवं अंतरराष्ट्रीय संधियां

5.1 पूर्ण पंथनिरपेक्षता एवं समानता: राहत वितरण में लाभार्थी के धर्म, पंथ, लिंग, जाति अथवा राजनीतिक संबद्धता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

5.2 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानक: समस्त राहत अभियान जिनेवा कन्वेंशन 1949, संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देशों एवं अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस आचार संहिता के पूर्ण अनुपालन में संचालित होंगे।

5.3 स्थानीय सर्वधर्म स्वयंसेवी नेटवर्क: राहत सामग्री का वितरण स्थानीय धार्मिक स्थलों (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि) के समन्वय से एक साझा मानवीय मंच के रूप में किया जाएगा।

6. पारदर्शिता, सामाजिक अंकेक्षण एवं जन-प्रकटीकरण

6.1 प्रत्येक राहत अभियान की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर व्यय किए गए प्रत्येक डॉलर/रुपये का विस्तृत ऑडिट विवरण और सामग्री वितरण सूची सार्वजनिक पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी।

6.2 किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्वतंत्र ऑडिट फर्म द्वारा राहत कोष का पृथक से त्रैमासिक वित्तीय व सामाजिक अंकेक्षण (Social & Financial Audit) अनिवार्य होगा।

भवदीय,



अधिकृत प्रतिनिधि/विधि प्रकोष्ठ
अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद

दिनांक: 12/08/2025



अधिकृत प्रतिनिधि/विधि प्रकोष्ठ
अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद